

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू  
जगमोहन वगै० बनाम तहसीलदार पीपलू  
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.  
प्रकरण संख्या 79 सन् 2025

2025/191

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15.05.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 23. 05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>Ami</i> <b>उप खण्ड अधिकारी</b> <b>पीपलू (टोंक)</b></p>	
23.05.25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। तलबी नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षी की तलबी हो चुकी है। तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट प्राप्त की जाने। पत्रावली दिनांक 30-05-25 को पेश हो।</del></p>	
30.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता तारी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त। अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली त. आदेशिका अनुसार दिनांक 20/06/25 को पेश हो।</p> <p><i>Ran</i></p>	
20.06.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वाली त. आदेशिका दिनांक 25.06/25 को पेश हो।</p> <p><i>Ami</i></p> <p>25.06.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता तारी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहय राजकार्य में व्यस्त। अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली त. आदेशिका अनुसार दिनांक 14/07/25 को पेश हो।</p> <p><i>Ran</i></p>	

14/25

पत्रकमें पेश हुई। अधिवक्ता कमी/पत्रकी  
व्यवस्था/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रकमें तब आदेशिका अनुसार विष्मक  
11.8.25 पेश हो।

Ram

11/25

पत्रकमें पेश हुई। अधिवक्ता कमी/पत्रकी  
व्यवस्था/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रकमें तब आदेशिका अनुसार विष्मक  
18.09.25 पेश हो।

Ram

16/25

पत्रकमें पेश हुई। अधिवक्ता कमी/पत्रकी  
व्यवस्था/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/  
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण  
पत्रकमें तब आदेशिका अनुसार विष्मक  
15.10.25 पेश हो।

Ram

15/25

पत्रकमें पेश हुई। अधिवक्ता प्राची व पशुकार्य  
अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, फन्तु  
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज साय: 5:00  
बजे लगायी गई। अधिवक्ता प्राची व पशुकार्य अनुपस्थित  
रहे के कारण पत्रकमें प्रथम हाजरी अर्द्ध पेजी  
में खारिज की जाती है। पत्रकमें निर्दिष्ट शुभारंभ  
होकर दफ्तर दखिल हो खे निष्पत्तिसार नम्बर से  
कम है।

d

उप खण्ड अधिकारी  
पीपल (टोंक)